


20.08.2024 - पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।  
पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन  
पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्ता की  
बहस को मध्यनजर रखते हुए। वादपत्र स्वीकार कर  
निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये  
जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय  
कि पालना में तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी  
किया जाकर कर शामिल पत्रावली किया गया।  
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज  
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

